न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी	:–	मनमोहन मीना, आर.ए.एस. अति0 जिला कलक्टर, लालसोट
मुकदमा नंबर	:–	जीसीएमएस नंबर 2023/255 मैन्युअल नंबर 110/2023
रजु दिनांकः	:–	27.09.2023

1. विमला बेवा रमेशचन्द
2. विनोद कुमार पुत्र रामचन्द

} जाति बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा

(अपीलांटस)

बनाम

1. सुरेशचंद पुत्र रामकरण जाति बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा
2. विष्णु पुत्र रामकरण (फौत)

2/1 अनिता पत्नी विष्णु

2/2 मानसी पुत्री विष्णु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अनिता

2/3 खुशबू पुत्री विष्णु नाबालिग जरिये संरक्षिका माता अनिता समस्त जाति बैरवा निवासी बैरवा मोहल्ला मण्डावरी तहसील लालसोट जिला दौसा

3. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा
4. उपपंजीयक लालसोट जिला दौसा (राज0)

(रेस्पोडेन्टस)

उपस्थितः– 01. अपीलांटस की ओर से : श्री चन्द्रशेखर बैरवा एडवोकेट

02. रेस्पो0 संख्या 1 की ओर सेः कोई उपस्थित नहीं

02. रेस्पोडेन्ट सं0 2/1 लगा0 2/3 की ओर से : श्री सूरज कुमार सैनी एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 25.2.26

अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 1252 ग्राम मण्डावरी तस्दीकी दिनांक 22.07.2006 तहसीलदार लालसोट जिला–दौसा (राज0)

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्टस की ओर से एक अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 1252 ग्राम मण्डावरी तस्दीकी दिनांक 22.07.2006 तहसीलदार लालसोट इस आशय की पेश की गई कि वर्तमान आराजी ख0नं0 388 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाकै ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त भूमि मूल्या उर्फ मूलचंद पुत्र धन्ना की खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित थी तथा मूल्या उर्फ मूलचंद के निधन के पश्चात् मूल्या की पत्नी घीसी देवी एवं गोद लिए पुत्र कैलाश ने उक्त भूमि में से 2 बीघा भूमि को अपीलांटस सं0 1 के पति अपीलांटस सं0 2 के पिता व रेस्पोडेन्टस सं0 1 व 2 को दिनांक 04.07.1994 को बेचान कर दिया तथा बेचान एग्रीमेंट 20/–रूपये स्टाम्प कीमती पर लिखावट करके अपीलांट्स सं0 1 के पति व अपीलांटस सं0 2 के पिता व रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने रूबरू गवाहान के समक्ष हस्ताक्षर

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

:कर दिये तथा घीसी देवी व कैलाश ने भी हस्ताक्षर कर दिये तथा उक्त खरीद शुदा भूमि पर काश्त होकर अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स 1 लगायत 2 काश्त कर लाभान्वित होते आ रहे है। उक्त भूमि में से शेष भूमि 1 बीघा 18 बिस्वा भूमि को अपीलांटस सं0 1 के पति रमेश एवं अपीलांट सं0 2 के पिता रामचन्द्र के दिनांक 04.07.1995 को दत्तक पुत्र कैलाश ने 13,330/- रूपये उधार लेकर रहन रख दी तथा कब्जा अपीलांट सं0 1 के पति को सुपुर्द कर दिया। अपीलांट सं0 1 शेष भूमि पर अपने पति के जीवन काल से काश्त कर वर्तमान में लाभान्वित होती आ रही है। परंतु रेस्पो0 सं01 ने मूल्या एवं उसकी पत्नी घीसी व दत्तक पुत्र कैलाश की मृत्यु के पश्चात् बडी चालाकी चतुराई से वादग्रस्त आराजी भूमि को हडपने की गर्ज से पटवारी हल्का व तहसीलदार से मिलकर अपीलाधीन नामान्तकरण विरासत का तस्दीक करवा लिया जो निस्तनीय है।

अपीलांटस ने आगे अभिवचन किए है कि अपीलाधीन नामांतरण को तस्दीक फरमाने से पूर्व तहसीलदार लालसोट द्वारा अपीलांटस को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया है एवं बिना सूचना दिये आराजी कृषि भूमि के मौके पर कब्जा आदि की जांच किये बगैर ही तहसीलदार लालसोट द्वारा विरासत के आधार पर नामांतरण तस्दीक फरमाया गया है जो निरस्तनीय है। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2 का अपीलाधीन नामांतरण में दर्ज आराजी कृषि में बैचान एग्रीमेंट दिनांक 04.07.1994 के अनुसार 2 बीघा भूमि में मात्र 1/3 के खरीददार है तथा उक्त हिस्से की भूमि पर ही रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 2 का मौके पर कब्जा काश्त है। अपीलाधीन नामांतरण में देखने से यह स्पष्ट रूप से दर्शित होता है कि नामांतरण में मूल्या की वल्दियत धन्ना है तथा अपीलांट सं0 1 की वल्दियत रामकरण है लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने फर्जी तरीके से अवैध रूप से बिना किसी विधिक अधिकार के हल्का पटवारी व तहसीलदार लालसोट से साजकर विरासत बताते हुए अपने नाम अपीलाधीन नामांतरण तस्दीक करवा लिया। रेस्पो0 सं0 1 का मूल्या से किसी प्रकार कोई संबंध नहीं था यदि ऐसा होता तो उक्त भूमि को खातेदार मूल्या की पत्नी घीसी देवी व दत्तक पुत्र कैलाश से नहीं खरीदता अतः प्रश्नगत नामांतरण निरस्तनीय है।

अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद व प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर अपीलांटस की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1252 दिनांक 22.07.2006 ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अपीलांटस की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस की तलवी की गई। अपीलाण्टस की ओर से रेस्पो0 विष्णु पुत्र रामकरण की मृत्यु होना जाहिर करते हुए प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किया गया। दिनांक 01.09.2025 को अपीलाण्टस का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार होकर मृतक विष्णु पुत्र रामकरण के वारिसान 2/1 लगा0 2/3 को रिकॉर्ड पर लिया गया। प्रकरण में मूल नामांतरण अभिलेख तहसीलदार लालसोट से तलब किया गया। मूल अभिलेख प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांटस ने बहस के दौरान अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी ख0नं0 388 रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट में स्थित है। उक्त भूमि मूल्या उर्फ मूलचंद पुत्र धन्ना की

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

खातेदारी भूमि राजस्व रिकार्ड में अंकित थी। मूल्या की मृत्यु होने पर मूल्या की विरासत का नामांतरण रेस्पो0 सं0 1 सुरेश ने अपने नाम खुलवा लिया जबकि रेस्पो0 सं0 1 सुरेश खातेदार मूल्या का पुत्र नहीं था। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता अपीलांटस ने अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामांतरण संख्या 1252 दिनांक 22.07.2006 ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पों0 सं0 2/1 लगा0 2/3 ने निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1 व 2 दोनो भाई है। मूल्या उर्फ मूलचंद के निधन के पश्चात् मूल्या की पत्नी घीसी देवी एवं कैलाश ने भूमि रेस्पो सं0 1 व 2 दोनो को भी बेची तथा मौके पर रेस्पों0 संख्या 2/1 लगा0 2/3 पूर्वज के समय से लगातार काबिज है। बहस के दौरान अधिवक्ता रेस्पो. सं0 2/1 लगा0 2/3 ने प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा मूल अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध इकरारनामा दिनांक 04.07.1994 एवं दिनांक 04.07.1995 की फोटो प्रति का भी अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है तथा अधिवक्ता रेस्पो0 ने भी प्रकरण रिमाण्ड किये जाने पर अनापत्ति जाहिर की है। अतः अपीलाण्टस की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर नामांतरण संख्या 1252 दिनांक 22.07.2006 ग्राम मण्डावरी तहसील लालसोट खारिज किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार लालसोट को इस आशय से रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः नामांतरण तस्दीक करने की कार्यवाही करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 25/2/26 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

(मनमोहन मीना, आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा